[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 19th June, 2013]

#### हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

### अधिसूचना

# दिनांक 19 जून, 2013

संख्या 8/43-2012 पी०एस०(2).—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का हरियाणा अधिनियम 12) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
- 2. ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- 3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में नियम 134क के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''134-क मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय दस प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब गुणवान छात्रों एवं गरीबी रेखा. से नीचे (बी०पी०एल०) श्रेणियों से सम्बन्धित मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित करेंगे। विद्यालय इन छात्रों से सरकारी विद्यालयों में यथा प्रभारित दर से फीस प्रभारित करेंगे।'' आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब गुणवान छात्रों एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) श्रेणियों से सम्बन्धित मेधावी छात्रों के लिए आरक्षण धारा 24(2) तथा 15.

सुरीना राजन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग. चण्डीगढ़।

51219-C.S.-H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 19th June, 2013]

## HARYANA GOVERNMENT

## SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

## Notification

## The 19th June, 2013

No. 8/43-2012P.S.(2).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section(2) of Section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Haryana Act No. 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:—

1. These rules may be called the Haryana School Education (Third Amendment) Rules, 2013.

2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Haryana School Education Rules, 2003, for Rule 134-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"134A.

The recognized private schools shall reserve ten percent seats for meritorious students belonging to Economically Weaker Section (EWS) and Below Poverty Line (BPL) categories. The school shall charge fee from these students at the same rate as charged in Government Schools".

Reservation for meritorious students belonging to Economically Weaker Section (EWS) and Below Poverty Line (BPL) categories Section 24(2) and 15.

### SURINA RAJAN,

Principal Secretary to Government Haryana, School Education Department, Chandigarh.

51219-C.S.--H.G.P., Chd.